दबंग City
इंदौर
शुक्रवार, 7 नवंबर 2014

सायबर वर्कशॉप

एमिटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल में स्टूडेंट्स ने समझा सायबर बुलिंग व आईटी एक्ट

लोगों की जागरूकता से ही रुकेंगे सायबर क्राइम

दबंग रिपोर्टर ■ इंदौर

जीवन में कोई भी गतिविधि करने से पहले हमें उसके कानूनों की जानकारी भलीभांति होना चाहिए, जिससे वह सुचारू रूप से संचालित हो सके। ऐसे ही सायबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षित ढंग से अपने लाभ के लिए करें न कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, इसके गलत इस्तेमाल से आईटी एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर कारावास भी हो सकता है।

यह बात पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल (पीआरटीएस) के निदेशक व आईजी वरुण कपूर ने ब्लैक रिबन इनिशिएटिव अभियान के तहत एमिटी ग्लोबल बिजनेस स्कूल में आयोजित 67वीं सायबर कार्यशाला में कही।

उन्होंने कहा लोगों को सायबर नियमों व कानून की जानकारी ठीक ढंग से नहीं होती है और इसी समस्या को दूर करने के लिए सर्वप्रथम कानून की जानकारी देना अनिवार्य होता है। कपूर ने सभी छात्रों को सायबर क्राइम के विश्वभर में प्रभाव, उसे रोकने के सबसे अच्छे व सुरक्षित उपाय बताए। इसके साथ ही अन्य टिप्स दिए गए जिनसे सायबर अपराध से बचा जा सके।

तेजी से बढ़ रहे हैं सायबर क्राइम

उन्होंने कहा आज के दौर में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराध है, सायबर क्राइम। नागरिकों को नए-नए सायबर क्राइम का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी सूचना अखबारों में प्रतिदिन प्रकाशित हो रही है। इसे नियंत्रित करने व इसके दुष्प्रभावों से बचने का सबसे सशक्त माध्यम है- युवा, छात्र व जनता की जागरूकता। इसी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। इस पूरे प्रयास को दूर-दूर तक फैलाने का उद्देश्य यही है कि यह संदेश प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचे, जिससे कि इस प्रदेश की जनता को सायबर क्राइम से बचाव के लिए एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो सके।

स्टूडेंट्स का किया सम्मान

कार्यशाला में 70 छात्र-छात्राओं एवं 13 फैकल्टीज ने भाग लिया व सायबर सुरक्षा के मूलमंत्र जानें। इस दौरान पीआरटीएस एसपी सुदीप गोयनका ने सुरक्षित पास वार्ड तैयार करने, सायबर बुलिंग, स्टॉकिंग एवं आईटी एक्ट की जानकारी दी। कार्यशाला में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दो छात्रों उपेंद्र सिंह राजावत एवं मोहना रत्नापारखे को कपूर ने प्रमाण-पत्र व गोल्डन बैज से सम्मानित किया।